UPMI010027382026

न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

पीठासीन अधिकारी : अनुपम कुमार
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

<u>प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–869/2026</u>

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 शिवशंकर,
2. अंजु देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार,
   निवासीगण ग्राम–देवापुर पचवल, थाना–कोतवाली देहात, मीरजापुर।

बनाम

उ0प्र0 सरकार

मु0अ0सं0–**185** सन् **2026**
धारा–108 भा0न्याय संहिता
थाना–कोतवाली देहात, जिला–मीरजापुर।

अभियुक्त की ओर से– श्री विजय कुमार सिंह (अधिवक्ता)
अभियोजन की ओर से– श्री आलोक राय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
वादी मुकदमा की ओर से– श्री गणेश प्रसाद दूबे (अधिवक्ता)

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण</u>

<u>दिनांकः–04.06.2026</u>

1. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुमार व अंजु देवी की ओर से मु0अ0सं0–185 सन् 2026, धारा–108 भा0न्याय संहिता, थाना–कोतवाली देहात, जिला–मीरजापुर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इस जमानत प्रार्थना–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि वादी मुकदमा की पुत्री साहिबा को उनके जेठ सुरेन्द्र कुमार व उनकी पत्नी अंजू देवी जमीन को लेकर बराबर उकसाते रहते थे कि वह मजबूर होकर अपनी आत्म हत्या कर लेवे। दिनांक 19.04.2026 को लगभग 7:00 बजे सायं पुनः जमीन को लेकर उक्त लोगों ने कृष्ण मोहन के कहने पर उसकी पुत्री को मानसिक रूप से दबाव डालने लगे, जिससे उसकी पुत्री ने मजबूर होकर उन लोगों के कृत्य से आत्म हत्या कर ली। वादी व साहिबा के पति द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहॉ डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त

लोगों द्वारा उसकी पुत्री साहिबा को आत्म हत्या के लिए उकसाते हुए वादी की बड़ी पुत्री कबिता ने देखा है।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि अभियोजन पक्ष की कहानी गलत व निराधार है। पानी की बात को लेकर अन्जू व मृतका से कहा–सुनी होने पर सुरेन्द्र, अंजू, श्रवण, मृतका व मृतका की सगी बहन कविता, संजय व रागिनी थाने पर गये व वादी को थाने बुलाया और पुलिस द्वारा सुलह कराया गया। सुलह के दौरान वादी द्वारा सार्वजनिक जगह पर मृतका को डाटने व फटकारने के कारण क्षुब्ध व दुखी होकर साहिबा ने उसी दिन अपने घर में आत्म हत्या कर लिया। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का कोई औचित्य भी नहीं है। प्रार्थीगण मृतका के जेठ व जेठानी है और मृतका से 7 वर्ष से अलग रहे हैं। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण को पुलिस तलाश कर रही है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को बार–बार प्रताड़ित किया जाता रहा, जिसके फलस्वरूप मृतका ने आत्महत्या कर लिया। अभियुक्तगण की भूमिका एवं कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाय।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विस्तृत तर्कों को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर सह–अभियुक्त कृष्ण मोहन के कहने पर वादी मुकदमा की पुत्री/मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किये जाने का अभियोग लगाया गया है। अभियोजन/वादी के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा हक–हिस्सा को लेकर मृतका को बार–बार प्रताड़ित किया जाता रहा, जिसके परिणामस्वरूप मृतका ने आत्महत्या कर लिया। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नामजद है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की भूमिका प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित है। केस डायरी में अंकित बयान कविता देवी एवं वादी मुकदमा श्रीराम ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन किया गया है। मृतका की मृत्यु उसके ससुराल में हुयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रिश्ते में मृतका के जेठ व जेठानी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु Asphyxia due to hanging दर्शित है। प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है। उपरोक्त के आलोक में इस निष्कर्ष पर नहीं

पहुंचा जा सकता कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा द्वारा अपमानित करने के आशय से झूठा फंसाया गया है।

8. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मामले के गुण–दोष पर कोई विचार प्रकट किये बिना, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह अग्रिम जमानत के लिये उपयुक्त मामला नहीं है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुमार व अंजु देवी का मु0अ0सं0–185 सन् 2026, धारा–108 भा0न्याय संहिता, थाना–कोतवाली देहात, जिला–मीरजापुर में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–869/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 04.06.2026

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
I.D.No.U.P.-1902

Dilip Kumar Srivastava (P.A.)